(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8039–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्रकरण कमांक पृष्ठांकन कमांक 5(1) 2015–16/3487.

मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरीज प्रा. लि. बड़वाह
जिला खरगोन .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इन्दौर
3– सहायक आबकारी आयुक्त जिला खरगोन
4– जिला आबकारी अधिकारी जिला खण्डवा .....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री प्रभात जादौन, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी को आसवनी परिसर स्थित सी.एस.–1 बी एवं सीता कम्पाउण्ड जिला खण्डवा स्थित सी.एस.–1 बी लायसेन्स के अन्तर्गत देशी मदिरा की बॉटलिंग कर उन्हें आवंटित जिलों में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति दी गई थी । म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश कमांक बी–1–31/2012/2/पांच दिनांक 12–2–2013 के अनुकम में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर ने पत्र कमांक 5(1)/13–14/381 दिनांक 18–2–2013 से जारी निर्देशों की कंडिका 9 में स्पष्ट किया गया था कि प्रदाय संविदाकार स्थानीय मांग के अनुरूप देशी मदिरा की अधिकतम 50 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति कांच की बोतलों में कुल

प्रदाय की आधी मात्रा ही प्रदाय की जा सकती है और यह सुनिश्चित कराये जाने के लिए सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत होगे । प्रभारी अधिकारी सी.एस.–1 बी देशी मदिरा बॉटलिंग प्लांट काटकूट रोड बड़वाह जिला खरगोन एवं प्रभारी अधिकारी सी.एस.–1 बी देशी मदिरा बॉटलिंग प्लांट सीता कम्पाउण्ड जिला खण्डवा तथा जिला आबकारी अधिकारी बुरहानपुर, खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में कांच की बोतलों में 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा में बॉटलिंग कर खण्डवा, बुरहानपुर एवं उमरिया प्रदाय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक कांच की बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय की गई । माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका कमांक 2509/2013 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–4–2013 द्वारा पैट बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र कमांक 5 (1)13–14/1207 दिनांक 22–4–2013 से कांच की बोतलों में मदिरा प्रदाय करने की अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया था, जिसकी अवधि आबकारी आयुक्त के पत्र कमांक 5 (1)13–14/2220 दिनांक 12–7–2013 तक बढ़ाई गई थी । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा सी. एस.–1 बी काटकूट रोड बड़वाह जिला खरगोन में माह अगस्त 2013 में देशी मदिरा की कुल बॉटलिंग का 100 प्रतिशत, माह सितम्बर में 73.11 प्रतिशत एवं सी.एस.–1 बी सीता कम्पाउण्ड जिला खण्डवा में माह अगस्त में 60.42 प्रतिशत उत्पादन कांच की बोतलों में किया गया है जो म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 31–1–2013 को प्रकाशित टेंडर की शर्त कमांक 6 (V)का उल्लंघन किये जाने से आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र कमांक 5 (1)13–14/3530 दिनांक 7–12–2013 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं अपीलार्थी कम्पनी से जवाब प्राप्त किया जाकर दिनांक 15–9–2015 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम व टेण्डर तथा लायसेन्स का उल्लंघन किया जाना मान्य कर नियम 12 (1) के अन्तर्गत कुल रूपये 1,00,000/– रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत

अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में यह बताया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013–14 में पैट बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था एवं बाद में माननीय उच्च न्यायालय एकाएक प्रतिबंध हटाने से मांग के अनुसार पैट बोतलों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इस कारण राजस्व की हानि न हो एवं फुटकर ठेकेदारों की मांग को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा के प्रदाय में कांच की बोतलों का उपयोग निर्धारित मात्रा से ज्यादा हो गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में प्रदाय किये जाने से राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और न ही प्रदाय प्रभावित हुआ है और यदि शासन को हानि हुई है तो उसको सिद्ध करने का प्रमाण भार शासन पर था । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर किसी भी प्रकार की कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक स्थिति को नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के बीच एक संविदा है तथा संविदा के संदर्भ में भारतीय संविदा अधिनियम, 192 की धारा 74 के प्रावधानों सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 (सुप्रीम कोर्ट) 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 (सुप्रीम कोर्ट) 1098 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति नहीं लगाई जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टांत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं कर स्वेच्छाचारी एवं मनमाना आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अपीलार्थी कम्पनी को सूचना पत्र जारी किया जाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद ही आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र कमांक 5 (1)13–14/381 दिनांक 18–2–2013 द्वारा कांच की बोतलों में कुल प्रदाय का अधिकतम 50 प्रतिशत ही प्रदाय करने के निर्देश दिये

गये थे । सम्बन्धित जिलों के प्रभारी अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में कांच की बोतलों में 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा में बॉटलिंग कर उन्हें आवंटित प्रदाय क्षेत्रों में कांच की बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय की गई है ।

(3) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्प्रिट नियम, टेण्डर तथा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो कि नियम 12 (1) का उल्लंघन किये जाने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आबकारी आयुक्त द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र दिनांक 12–2–2013 के अनुकम में पत्र कमांक 5(1)/13–14/381 दिनांक 18–2–2013 से जारी निर्देशों की कण्डिका 9 में स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी कम्पनी मांग के अनुरूप देशी मदिरा की अधिकतम 50 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति ही कांच की बोतलों प्रदाय की जा सकती है । इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी सी.एस.–1 बी देशी मदिरा बॉटलिंग प्लांट काटकूट रोड बडवाह जिला खरगोन, प्रभारी अधिकारी सी.एस.–1 बी देशी मदिरा बॉटलिंग प्लांट सीमा कम्पाउण्ड जिला खण्डवा तथा जिला आबकारी अधिकारी, बुरहानपुर, खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक देशी मदिरा कांच की बोतलों में प्रदाय की गई है । अर्थात अपीलार्थी कम्पनी म.प्र. देशी स्प्रिट नियम व टेण्डर व लायसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अतः आयुक्त द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम के नियम 12 (1) के अन्तर्गत रूपये 1,00,000/– शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कांच की बोतलों में मदिरा प्रदाय किये जाने से राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और न ही प्रदाय प्रभावित हुआ है । इस संबंध में जहॉ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन

पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर